रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2007/वैशाख 21, 1929
No. 124] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2007/VAISAKHA 21, 1929

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2007

सं. 12016/55/2006-एससीडी (आर.एल. सैल).— जबकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 12016/55/2006-एससीडी (आर.एल. सैल), दिनांक 16 अप्रैल, 2007 के तहत, श्री मदन मोहन पुंछी, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण मुद्दे की जांच करने संबंधी राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में, एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था;

और जबकि उक्त नियुक्ति, उक्त आयोग में उनके द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी थी;

और जबकि उक्त श्री मदन मोहन पुंछी ने उक्त आयोग में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है और अपनी स्वीकृति वापस ले ली है;

अतः, अब, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 12025/12/2005-एससीडी (आर.एल. सैल), दिनांक 15-11-2006 के पैरा 3 एवं पैरा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, उक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त करने संबंधी उक्त अधिसूचना को निरस्त करती है।

डी. वी. एस. रंगा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2007

No. 12016/55/2006-SCD (R.L. Cell).—Whereas Shri Madan Mohan Punchhi, a former Chief Justice of India, was appointed as the Chairperson of the National Commission to examine the issue of Sub-Categorization of Scheduled Caste in Andhra Pradesh for a period of one year vide Notification No. 12016/55/2006-SCD (R.L.Cell), dated 16th April, 2007, published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1;

And whereas the said appointment was to take effect from his taking over the charge of the Chairperson in the said Commission;

And whereas the said Shri Madan Mohan Punchhi has shown his inability to join as Chairperson in the said Commission and has withdrawn his acceptance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by para 3 and para 8 of Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. 12025/12/2005-SCD(R.L Cell), dated 15-11-2006, the Government of India hereby rescinds the said Notification appointing him as Chairperson of the said Commission.

D. V. S. RANGA, Jt. Secy.

2385 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.